

राजस्थान सरकार
राजस्व § ग्रुप-6 § विभाग

क्रमांक:- प. 6 § 7 § राज-6/95 / 67 जयपुर, दिनांक:- 08 अप्रैल, 1999

-: अधिसूचना :-

=====

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 § राजस्थान अधिनियम सं० 15 वर्ष 1956 § की धारा 20 § ख § § III § द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार स्तद्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षणार्थी श्री प्रेम सिंह चारण को , जिन्हें कार्मिक § क-4 § विभाग के आदेश क्रमांक प. 1 § 1 § कार्मिक/क-4/99 दिनांक 10.3.99 के द्वारा जयपुर जिले में सहायक कलेक्टर एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट § प्रशिक्षण § पद पर पदस्थापित किया है , को सहायक कलेक्टर एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है ।

राज्यपाल की आज्ञा से

§ संजय दीक्षित §
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव / मा० राजस्वमंत्री महो०/मुख्य सचिव महो०/प्रमुख शासन सचिव, महो०
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
5. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
6. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 08 अप्रैल, 1999 में प्रकाशनार्थ ।
7. " राविरा " राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. विधि संहिताकरण विभाग ।
9. उप निबन्धक § पित्त एवं लेखा § राजस्व मण्डल, अजमेर ।
10. संबंधित सहायक कलेक्टर ।
11. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव